



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-31-05-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्वक्शन" के तहत अभियुक्त क्रान्ति राजभर को चोरी के दो अलग-अलग प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 10 माह के कारावास व कुल 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 449/2023, धारा- 379, 411 भादवि व मु0अ0सं0- 455/2023, धारा- 379, 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त क्रान्ति राजभर पुत्र स्व0 छेदी राजभर निवासी कुरहुआ थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को थाना भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.05.2024 को मा0 न्यायालय J.M-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त क्रान्ति राजभर उपरोक्त को क्रमशः मु0अ0सं0- 449/2023, धारा- 379, 411 भादवि में दोनो धाराओं में 10-10 माह के कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तथा मु0अ0सं0- 455/2023, धारा- 379, 411 भादवि में दोनो धाराओं में 10-10 माह के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी